



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2015/आषाढ़ 30, 1937

No. 459]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2015/ASHADHA 30, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2015

**सा.का.नि. 570(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा समूह घ) भर्ती नियम, 1962 को जहां तक उनका संबंध मार्क्समैन, जिल्द साज, चपरासी, फराश, चौकीदार झाड़ूकश के पदों से है, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण (नाविक और माली) भर्ती नियम 1976, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण (नाव के लिए लश्कर) भर्ती नियम 1973, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण (संदेशवाहक) भर्ती नियम, 1985, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण (केयर टेकर) भर्ती नियम, 1991 (जहाँ तक कि उनका संबंध कनिष्ठ केयर टेकर के पद से है), भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण (दफ्तरी जमादार और पुस्तकालय परिचर-समूह 'घ') भर्ती नियम 1990 और भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण (कनिष्ठ गेस्टेनर आपरेटर) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण में कार्यालय सहायक (बहुकार्य कर्मचारिवृन्द) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण, कार्यालय परिचर (बहुकार्य कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उससे सलग्न या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अहर्ताएं आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

| पद का नाम                               | पद संख्या                                      | वर्गीकरण  | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान             | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा   | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
|---|--|---|--|----------------|---|--|
| 1                                       | 2  | 3   | 4  | 5              | 6   | 7  |
| कार्यालय परिचर (बहुकार्य कर्मचारिवृन्द) | 120* (2014)                                    | साधारण भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1 5200-20200 रु.+ग्रेड वेतन 1800 रु. | लागू नहीं होता | 27 वर्षों से अनधिक<br><br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  | मैट्रिकुलेशन या समतुल्य पास  |
|   | *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। |   |  |                | <b>टिप्पणः—</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |  |

|  |                               |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता   | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
| 8  | 9                             | 10   | 11   |
| लागू नहीं होता   | दो वर्ष                       | सीधी भर्ती द्वारा पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव हैं में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी | लागू नहीं होता   |

|   |   |
|---|---|
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना  | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (12)  | (13)  |
| विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : —<br>1. निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण - अध्यक्ष<br>2. कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य<br>3. कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य | लागू नहीं होता ।  |

[फा.सं. 02- 05/2013-सीएसजेड]

आर. दलवानी, सलाहकार (सीएस)

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st July, 2015

**G.S.R. 570(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Group 'D') Recruitment Rules, 1962, in so far as it relates to the posts of Marksman, Book Binder, Peon, Farash, Watchman, Sweeper, the Zoological Survey of India (Deck Hand and Mali) Recruitment Rules, 1976, the Zoological Survey of India (Lascar for boat) Recruitment Rules, 1973, the Zoological Survey of India (Messenger) Recruitment Rules, 1985, the Zoological Survey of India (Caretaker) Recruitment Rules, 1991 (in so far it related to the post of Junior Caretaker), the Zoological Survey of

India (Daftry, Jamadar and Library Attendant-Group 'D') Recruitment Rules, 1990 and the Zoological Survey of India (Junior Gestetner Operator) Recruitment Rules, 1989 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Office Attendant (Multi Tasking Staff) in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Zoological Survey of India, namely:-

**1. Short title commencement. –**

- (1) These rules may be called the Zoological Survey of India, Office Attendant (Multi Tasking Staff), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay. –**

The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. –**

The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Disqualification. – No person, –**

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax. –**

Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Staff Selection Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Savings. –**

Nothing in those rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post.                          | Number of post.  | Classification.  | Pay band and grade pay, pay scale.                                   | Whether Selection post or non-selection post. | Age limit for direct recruits.   |
|--|--|--|--|---|--|
| (1)                                    | (2)  | (3)  | (4)  | (5)   | (6)  |
| Office Attendant (Multi Tasking Staff) | 120 (2014)*<br>* Subject to variation dependent on work load | Zoological Survey of India, General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band of Rs. 5200-20,200 in Pay Band-1 with Grade Pay of Rs. 1800 | Not applicable                                | Not exceeding 27 years of age.<br><br>(Relaxable for Government servant upto 40 years in case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe in accordance with the instructions or orders by the Central Government)<br><br><b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep). |

|  |  |                              |   |
|--|--|------------------------------|---|
| Educational and other qualifications required for direct recruits  | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes   | Period of Probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods  |
| (7)  | (8)  | (9)                          | (10)  |
| Matriculation or equivalent pass.  | Not applicable   | Two Years                    | By direct recruitment.<br><br><b>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or on long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more, may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</b> |
| In case of recruitment by promotion, deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition   |                              | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment  |
| (11)   | (12)   |                              | (13)  |
| Not applicable.  | <b>Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b><br><br>1. Director, Zoological Survey of India - Chairman<br><br>2. Head of Office Botanical Survey of India - Member<br><br>3. Head of Office Zoological Survey of India - Member |                              | Not applicable  |

[ F. No. 02-5/2013-CSZ ]

R. DALWANI, Advisor (CS)